

पंजाब यूनिवर्सिटी परीक्षार्थियों के लिए सूचनाएं

1. प्रतिदिन परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा-भवन के दरवाजे निश्चित समय से आधा घन्टा पहले खोले जायेंगे। परीक्षा शुरू होने से कम से कम 15 मिनट पहले परीक्षार्थियों को अपने अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये। यदि कोई परीक्षार्थी विशेष कारण से परीक्षा-भवन में देरी से आता है परन्तु देरी 15 मिनट से अधिक न हो, तो उसे अस्थायी रूप से प्रविष्ट कर लिया जाएगा। परीक्षा समय के भीतर किसी व्यक्ति को परीक्षा भवन से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है।
 2. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा से आये समय की समाप्ति तक परीक्षा भवन से बाहर नहीं जा सकता।
 3. प्रत्येक परीक्षार्थी के बैठने के स्थान पर रोल नम्बर लगा दिया जायेगा। परीक्षार्थी को सिर्फ अपने ही स्थान पर बैठने की आज्ञा होगी।
 4. सुपरिन्टेंडेंट की विशेष आज्ञा प्राप्त किए बिना कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा के कमरे से बाहर नहीं जा सकता तथा न ही अपना स्थान बदल सकता है।
 5. कोई भी परीक्षार्थी बिना आज्ञा के नहीं बोल सकता। यदि किसी को सुपरिन्टेंडेंट से कुछ कहना हो तो वह अपने स्थान पर चुपचाप खड़ा हो जाये। परीक्षाध्यक्ष स्वयं उसके पास पहुंच जाएगा।
 6. परीक्षा-भवन के अन्दर सिगरेट आदि पीना सख्त माना है। इस नियम का पालन परीक्षा-भवन के निकट भी होगा।
 7. यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा के समय कोई गड़बड़ी करेगा या कोई दुर्यवहार करेगा या परीक्षा-भवन के अन्दर या ईर्द-गिर्द शोर डालेगा या सुपरिन्टेंडेंट की आज्ञा का उल्लंघन करेगा या अपना स्थान किसी दूसरे परीक्षार्थी के साथ बदलेगा तो उसे परीक्षा-भवन से बाहर निकाला जा सकता है और साथ ही उसके अपराध के अनुसार उसे परीक्षा में बैठने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि कोई परीक्षार्थी फरनीचर आदि को हानि पहुंचायेगा तो उसको पूरा करने का उत्तरदायित्व उसी परीक्षार्थी पर होगा।
 8. प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व ही परीक्षार्थियों को कापी के बाहर के पृष्ठ पर परीक्षा का नाम, वर्ष तिथि के साथ, विषय, पत्र संख्या और अपना रोल नम्बर सावधानी से लिख लेना चाहिये।
अगर मुख्य पृष्ठ OMR Sheet है तो प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व ही परीक्षार्थियों को OMR Sheet के भाग A में, परीक्षा भवन कोड, कक्षा, माध्यम, रोल नं./पीयूषिन, परीक्षा कोड और विषय कोड लिखना है। परीक्षा कोड और विषय कोड प्रश्न पुस्तिका में से उतारना है। परीक्षा भवन के बाहर लगी परीक्षार्थियों की सूची से परीक्षा भवन कोड की नकल उतारनी है। परीक्षार्थियों का OMR Sheet के भाग B और C में कोई भी कॉलम नहीं भरना है। परीक्षार्थियों को काले बाल पेन से गोले भरने हैं।
 9. परीक्षार्थी अपना रोल नं. OMR के टाइटल पेज पर बायें से दायें लिखें।
 10. परीक्षार्थी उत्तर कापी के टाइटल पृष्ठ के पिछले भाग पर किसी प्रश्न का उत्तर न लिखें।
परीक्षार्थी सीकेसी उत्तर कापी, ग्राफ पेपरों तथा नक्शों पर केवल नियत स्थान पर ही अपने रोल नम्बर लिखें। इसके अतिरिक्त अन्य स्थान पर लिखने के लिये वह अपने चिन्ह प्रकट करने का अपराधी माना जाएगा।
जिस परीक्षा में गुप्त रोल नम्बर लगते हों, परीक्षार्थियों को अपनी कापी, ड्राइंग पेपरों, नक्शों तथा ग्राफ पेपरों के दाएं हाथ के उपरी भाग पर अपना रोल नम्बर लिखना चाहिए। उसके पीछे कोई उत्तर न लिखें।
 11. रक-काम तथा गणना (Calculations) केवल उत्तर-कापी पर ही किया जाना चाहिये। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा-भवन में अपनी मेज, प्रश्न-पत्र, स्याही-बूँस अथवा किसी अन्य स्थान पर कुछ लिखता हुआ पकड़ा जायेगा अथवा इस आदेश की अवहेलना करेगा तो वह अनुचित-उपायों का प्रयोग करने के केस में उलझ जायेगा।
 12. कापी के मुख्य पृष्ठ पर या अन्यत्र कहीं भी परीक्षार्थी को अपने कालेज का नाम नहीं लिखना चाहिये। किसी भी ढंग से यह बात प्रकट नहीं करनी चाहिये कि परीक्षार्थी कालेज से या प्राइवेट रूप से परीक्षा दे रहा है।
 13. नियत समय की समाप्ति पर परीक्षार्थी अपनी कापी सुपरिन्टेंडेंट/असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट का दे दें, बाहे उन्होंने किसी प्रश्न का उत्तर न लिखा हो।
 14. परीक्षार्थियों को ध्यान से देख लेना चाहिये कि उनकी कापी पर सुपरिन्टेंडेंट या आसिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अपनी मोहर लगा दी है। यदि उनकी कापी बिना हस्ताक्षर या मोहर के रह गई होगी तो उन्हें अकारण अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
 15. प्रत्येक परीक्षार्थी को अपनी कलम और नीली-काली या रायल ब्लू (Royal Blue) स्याही साथ लानी होगी। केवल नीली-काली या रायल ब्लू (Royal Blue) स्याही के प्रयोग की ही आज्ञा है। परीक्षार्थी को नीली-काली स्याही वाला पेन (इन्डीपेन) प्रयोग करने की आज्ञा है किन्तु पेन की स्याही यूनिवर्सिटी नहीं देगी। हिन्दी, पंजाबी, उर्दू आदि के लिए परीक्षार्थी अपनी देसी स्याही स्वयं ला कर प्रयोग कर सकता है।
 16. उत्तर, कापी के दोनों ओर लिखना जरूरी होगा। कापी में से पृष्ठ फाड़ने की आज्ञा नहीं है।
 17. प्रश्न-पत्र के अतिरिक्त परीक्षा भवन से कोई भी कागज बाहर नहीं ले जाया जा सकता।
 18. मैट्रैमेटिक्स (हिसाब) के दिन परीक्षार्थी अपने ड्राइंग का सामान साथ ले आये। परीक्षार्थी को रूलर या फिनिश ड्राइंग या स्कैच के उपकरण प्रयोग करने की आज्ञा नहीं है। फिजिक्स और कैंमिस्ट्री के पर्वों में वे स्टैसिल का प्रयोग कर सकते हैं।
 19. बी.ए., बी.ए. आनर्ज तथा एम.ए. ज्योग्राफी के परीक्षार्थियों को स्टैसिल अथवा खाली नक्शे प्रयोग करने की आज्ञा है। स्टैसिल आदि ऐसे होने चाहिये जिन पर कुछ न लिखा जा सके जैसे सैल्यूलाइड, पतली टीन, प्लास्टीसिन की पारदर्शक अथवा अपारदर्शक परत (तह) कागज अथवा गत्ते के किसी प्रकार के स्टैसिल प्रयोग करने की आज्ञा नहीं है।
 20. परीक्षार्थी विज्ञान के उपकरणों में रंगदार पैसिल प्रयोग कर सकते हैं।
 21. परीक्षार्थियों को अपने साथ कोई भी संस्कार उपकरण जैसे मोबाईल फोन/पेजर, वायरलेस सैट स्कैनर पेन/स्कैनर कैमरा अथवा इलैक्ट्रॉनिक/डिजिटल उपकरण परीक्षा केन्द्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। जिसकी अवहेलना दण्डनीय है। फलस्वरूप आगामी दो साल के लिए परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित किया जाएगा।
 22. प्रतिदिन पेपर आरम्भ करने से पूर्व परीक्षार्थियों को अपनी जेबें, बैस्केट और बैचें इत्यादि अच्छी प्रकार देख लेनी चाहिये। यदि कोई परीक्षा सम्बन्धी कागज उनकी सीट या डैस्क के उपर अथवा नीचे पड़ा हुआ उन्हें मिले तो वह सुपरिन्टेंडेंट/असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट को दे देवें।
 23. सुपरिन्टेंडेंट/असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट हाल में उपस्थित परीक्षार्थियों को प्रतिदिन यह घोषित करेगा कि वह अपनी उत्तर-कापी के मुख्य पृष्ठ (Title Page) के दिये गये स्थान ए (Column-A) पर प्रश्नों को उसी तरह कम दें जिस प्रकार प्रश्न हल किये हैं।
 24. यदि परीक्षार्थी के डैस्क अथवा उसकी सीट के पास दीवार पर कोई लिखित सामग्री पाई जाएगी तो यह परीक्षार्थी का कर्तव्य होगा कि वह परीक्षा आरम्भ होने से पहले उसकी सूचना देगा।
- अनुचित उपाय
25. यदि किसी परीक्षार्थी के पास था उसकी पहुंच के अन्दर ऐसा कागज या पुस्तक या लिखी कोई भी चीज जो कि किसी प्रकार की सहायता दे सके या कोई परीक्षार्थी प्रश्नों के प्रति सहायता लेता या नकल करता पाया गया या किसी परीक्षार्थी को अपने पर्वों की नकल करवाता या कोई अनुचित उपाय प्रयोग करता या करने का प्रयत्न करता हुआ या पर्वों में किसी चिन्ह द्वारा अपने आप को प्रकट करता हुआ या पर्वों में गाली गलोच लिखता कोई परीक्षार्थी यदि स्याही-बूँस पर अथवा किसी और कागज पर परीक्षा के दौरान दिए गए प्रश्न-पत्र में से कोई प्रश्न लिखता हुआ पाया गया तो उसकी उत्तर-कापी (Answer-book) रद्द कर दी जाएगी।
यदि कोई परीक्षार्थी जान बूझ कर धोखा देना या पहले से ही धोखा देने का यत्न करेगा अथवा बाहर से चोरी पर्वों अन्दर लायेगा या किसी दूसरे आदमी को अपने स्थान पर परीक्षा देने सेजोगा या किसी प्रकार का अनर्थागत कार्य करेगा तो उसे दोष अथवा नियमानुसार यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठने का अनाधिकारी घोषित कर दिया जाएगा।
 26. परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह परीक्षा केन्द्र में अपने पर्स न लायें।
 27. परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह परीक्षा केन्द्र में कोई हानिकारक हथियार न लायें।

PANJAB UNIVERSITY

Instructions for Candidates

1. "Candidates are mandated to adhere to prevailing COVID appropriate behaviour as per guidelines of Govt./Health authorities".
2. The doors of the Examination Hall will be opened half an hour before the commencement of the examination to admit the candidates. All candidates must be in their seats not later than 15 minutes before the start of the examination. Where a candidate is unavoidably late by **not more than 15 minutes, he/she will be admitted provisionally, and during this period nobody will be permitted to go out of the hall.**
3. No candidate will be allowed to leave the hall before the expiry of half the time.
4. A numbered seat will be allotted to each candidate. Candidates should occupy only the seats allotted to them.
5. **Unless specially permitted by the Superintendent, no candidate shall temporarily leave his/her seat or the Examination Hall/Room until the examination is over.**
6. Whispering/Speaking in the Exam. Hall is prohibited. In case it is necessary for a candidate to communicate with the Superintendent he/she should stand in his/her seat when the Superintendent/Asstt. Superintendent will attend to him/her.
7. Smoking in the examination hall/room is strictly prohibited. No candidate is permitted to go out to have a smoke.
8. **Any candidate who creates disturbance of any kind during the examination or otherwise misbehaves in or around the examination hall or refuses to obey the Superintendent, or changes his/her seat with another candidate, shall be liable to expulsion from the examination centre as well as disqualification, according to the seriousness of the offence. He/she shall also be liable to make good the loss to furniture, etc., if any, caused by him/her.**
9. The candidate shall write on the **TITLE COVER** of the answer book his/her Roll No. in words and figure, the examination date with year, the subject and paper if any of the question paper.
In case the title cover of the answer-book is an OMR sheet, before attempting his/her question paper, each candidates shall write in Part A of the OMR sheet, Exam. date, Centre code, Class, Medium, Roll No./Pupin, Exam. code and Subject code. Exam. code and Subject code should be copied from question booklet. Centre code should be copied from list of candidates appearing in the examination displayed in the examination centre. The candidates shall not fill any column of Part B & C of the OMR sheet. The candidate should use black ball point pen to darken the circles.
10. Candidate should write his/her Roll No. on the OMR title cover from Left to Right.
11. **Candidates should not write answers on the backside of the title cover of answer-books.**
The candidate should write their Roll Numbers only on the portion specified for the purpose on the title cover of Secrecy Answer-Books and on graph paper and maps, if any, and nowhere else inside the answer-books, as they will make themselves guilty of disclosing their identity.
The candidates should write their Roll Numbers only on the right-hand side top corner of the Drawing Sheets, maps and graph papers and nothing should be drawn on the back of that portion of the paper.
12. **"Rough work and calculations must be done in the answer-book and not on the examination table or question paper or blotting paper or anywhere else. Any violation of this instruction will involve the candidate concerned in unfair means case."**
13. No candidate shall indicate on the cover or any other part of his/her answer-book the name of his/her institution, nor shall he/she indicate in any manner that he/she has appeared from a college or as a private candidate.
14. **At the expiry of the time allowed, the answer-book must be handed over to the Superintendent/Asstt. Superintendent on duty even though the candidate may not have answered any question or a part of the question paper.**
15. Candidates should make sure that their answer-books have been duly signed or stamped by the Superintendent or the Assistant Superintendent, as omission to do so may result in disqualification.
16. All candidates are required to use their own pens and Blue-black ink or Royal Blue Ink. The use of a fountain-pen with blue-black ink or Royal Blue ink is also permissible but no such ink will be supplied by the University. In Modern Indian and Classical Languages Examinations candidates may bring and use their own Indian ink.
17. Answers shall be written on both sides of the answer-books supplied to the candidates. **No candidate shall tear a leaf out of his/her answer-book.**
18. **No paper, except the question paper, shall be removed from the examination hall.**
19. For examination in Mathematics, Physics and Chemistry, candidates may bring their drawing instruments and stencils with them. They are not allowed to use rulers or instruments in the sketch or finished Drawing. In Physics and Chemistry, however, stencils **may be used.**
20. Candidates appearing in Geography for B.A., B.A. Hons. and M.A. Examinations are permitted to use outline maps or stencils which should be of such a material on which nothing can be written, such as celluloid, thin tin, transparent or opaque sheet of Plasticine, etc. Stencils cut in any type of paper or cardboard will not be permitted in any case.
21. Candidates can use coloured pencils for diagrams in Science subjects.
22. **The candidates are not permitted to carry any communication equipment such as Mobile Phone/Pager, Wireless Set, Scanner Pen/Scanner Camera or any such Electronic/Digital Gadget etc. inside the Examination Hall which is punishable with disqualification for period of two years with the subsequent examination.**
23. The candidates should search their pockets, desks and benches everyday before starting to answer their papers of examination and hand over to the Superintendent/Asstt. Supdt. if there is any incriminating papers, which is either in the possession of any examinee or is lying in his/her desk or under the near his/her seat.
24. The Superintendent shall announce to the candidates daily that they should enter the serial number of the questions in the order they have attempted in their answer-books, on the title page in column 'A' provided for the purpose.
25. If there are any writings on the desk/tables or on the walls near the candidate's seat, it shall be the duty of the candidate to point it out before the commencement of the examination.

UNFAIR MEANS

26. **Any candidate having in his/her possession or accessible to his/her papers, books or notes which might possibly be of assistance to him/her or found giving or receiving assistance, or copying from any paper, book or note or allowing any other candidate to copy from his/her answer-books, or found writing either on blotting paper or any other paper some questions set in the paper during the examination or using or attempting to use any other unfair means, or disclosing his/her identity or making peculiar marks in his/her answer-book for that purpose or using abusive or obscene language, or communicating or attempting to communicate with the examiner, shall be disqualified according to the Regulations.**
Any candidate found guilty of deliberate previous arrangement to cheat in the examination such as smuggling in other answer-book, impersonation, OR SOME OTHER MISCONDUCT OF A SERIOUS NATURE, shall be disqualified or declared as not a fit and proper person to be admitted to any future examination of the University according to the seriousness of the offence and other circumstances of the case.
27. Candidate (including women) should not bring their purses in the examination centre.
28. No student is permitted to carry lethal weapons in the Examination Hall.

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਚਨਾਵਾਂ

—ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ

- [illegible]

ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ

26. ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪਾਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼, ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਦੇਂਦਾ ਜਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼, ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਵਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਚਿਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਾ ਜਾਂ ਵਰਤਨ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਚਿਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਕੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਚਿਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਕੇ ਗਾਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਢੇ ਬੋਲ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਸ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਰੀ-ਚੁਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰੀ ਪਰਚੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਪਨੂੰ ਦਸਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੋਰ ਗਲਤ ਕਰਮ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
27. ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਨਾ ਲਿਆਉਣ।
28. ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ।

ਪਰੀਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਕ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ